ANNEXURE 1.3

संख्या– 1485 /नौ–9–2012–161ज/12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक: 15 अक्टूबर, 2012

विषय–4 जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान किया जाना ।

महोदय,

इनफोटेल ब्राडबैण्ड सर्विसेज लिमिटेड जिसे आगे कम्पनी कहा गया है, द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में और आरम्भिक तौर पर ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, मेरठ, रामपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, और इलाहाबाद नगरों में 4th Generation Broad Band Wire line / Wireless Access Services (4G) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 30 मीटर ऊँचे ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (GBM) की स्थापना के लिए अधिकतम 3 मी0 X 3 मी0 भूमि को 20 वर्ष, जिसे आगे 10 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा, की लीज पर उपलब्ध कराने तथा भूमिगत व उपरिगामी आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु कम्पनी द्वारा समस्त सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. कम्पनी द्वारा भूमिगत केबिल डालने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि इस कार्य में Horizontal Directional Drilling (HDD) तकनीक का उपयोग किया जायेगा, जिसमें भूमि के सतह के क्रियाकलापों पर बहुत कम बाधा आयेगी और इसमे समय भी बहुत कम लगेगा। कार्य पूरा होने के 72 घण्टे के अन्दर स्थल मूलस्थिति मे ला दिया जायेगा। जहाँ भूमिगत केबिल डालना सुविधाजनक

ANNEXURE 1.3

सं 1011/आ वि./14
5/8/14

संख्या– 637/8–3–14–100 विविध/97

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

3. नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक: 05 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2014

विषयः– 4 जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या–1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15.10.12 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 4जी नेटवर्क के लिए एच.डी.डी. विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउण्ड बेस्ट मास्ट (जी0बी0एम0) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है।

2– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों के विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि या भवनों के वर्ग को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–14 तथा 15 या तद्धीन बनाये गये नियमों, विनियम या उपविधियों अथवा निदेशों से, अधिसूचना सं0–3369/9–आ–3–97–100विविध/97 दिनांक 24.01.98 द्वारा छूट प्रदान की गयी है। अधिसूचना संख्या–3369 दिनांक 24.01.09 द्वारा प्रदान की गयी छूट को शासनादेश संख्या–6318/9–आ–3–1999 दिनांक 10.12.99 द्वारा और अधिक स्पष्टता प्रदान की गयी है।

3– प्रकरण में नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–1485/नौ–9–2012–161ज/12 दिनांक 15.10.12 की प्रति संलग्न कर, उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1485 दिनांक 15.10.12 के प्रस्तर–8(9) एवं 8(10) में निर्धारित जमानती राशि का भुगतान यथास्थिति विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास

RV-G.D.-3

64